[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 17/2025-केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है ।" ।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी ।

[फा.सं.190341/188/2025-TRU]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून , 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 47(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।